17

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम आगरा क्रम संख्या 2024001015447

आवेदन संख्या : 202400766059833

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक	2024-09-23 00:00:00
प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम	मदन लाल शर्मा
लेख का प्रकार	विक्रय पत्र
प्रतिफल की धनराशि	825000 / 904000.00
1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क	9040
2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क	60
3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क	
4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क	
5 . कमीशन शुल्क	
6 . विविध	
7 . यात्रिक भत्ता	
1 से 6 तक का योग	9100
शुल्क वसूल करने का दिनाँक	2024-09-23 00:00:00
दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा	2024-09-23 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP94208435297422W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP94208435297422W
Certificate Issued Date	:	23-Sep-2024 12:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14134204/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14134204848103287962664W
Purchased by	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT ON PART OF KHASRA NO. 433/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR TEHSIL AND DISTT. AGRA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ASHOK DIXIT HUF
Second Party	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	63,500 (Sixty Three Thousand Five Hundred only)

Please write or type below this line

0003551224

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2

– (Amit .
Call le

82183∞

Hab bta

uns – 9

ge – 1

/ada

Caf

"किस्म दस्तावेज : बैनामा/विक्रय पत्र"

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
2.	वार्ड/परगना	-	तहसील व जिला आगरा।
3.	मौहल्ला/ग्राम	-	मौजा राजपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 433/2 का भाग
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	81.96 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
8.	अन्य विवरण	-	विक्रीत भूखण्ड दो तरफ रास्ते का व पार्क फेस का नही है। जिस पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड मूल्यांकन सूची के वर्णित मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	खाली भूखण्ड
10.	प्रतिफल की धनराशि	-	8,25,000/- रूपये
11.	सरकारी मालियत	-	9,04,000/- रूपये
12.	सर्किल रेंट	-	जमीन - 11,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर उ निबन्धक (तृतीय) आगरा सदर की मूल्यांकन सूच के पृष्ठ संख्या 39 क्रमांक 236 पर अंकित है।
13.	देय स्टाम्प	-	63,500/- रूपये का बजरिये ई-स्टाम्प सर्टीफिके नम्बरी INUP-942084352974 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा अदा किया गया है

विक्रेता/प्रथमपक्ष की संख्या (1)
अशोक दीक्षित एच0यू0एफ0 कर्ता श्री अशोक दीक्षित संयुक्त हिन्दू परिवार पुत्र श्री जगदीश चन्द दीक्षित निवासी 2/15, नामनेर, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या AALPD9510F
मोबाइल नम्बर ....

.... विक्रेता/प्रथमपक्ष

व

क्रेता/ द्वितीयपक्ष की संख्या (1)
मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या **AVQPS7051N**
मोबाइल नम्बर ....

.... क्रेता/द्वितीयपक्ष

सम्पत्ति का विवरण : जो कि एक किता भूखण्ड, क्षेत्रफल 819.62 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नम्बर 433/2 का भाग व नगर निगम नम्बर 31/167 है वाके मौजा राजपुर, तहसील व जिला आगरा जिसकी पैमाइश साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से दर्शित है के 10 प्रतिशत भाग शामलाती यानि 81.96 वर्गमीटर (सम्पूर्ण अंश) का विक्रय किया जा रहा है जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब	:	रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
पश्चिम	:	जायदाद दीगर
उत्तर	:	जमीन ए डी ए
दक्षिण	:	जमीन दीगर

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष ने मय मैसर्स अभिनन्दन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती निधि भटनागर आदि के बजरिऐ दो किता बैनामा यके नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 322.31 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहॉ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 251/274 पर क्रम संख्या 429 पर विधिवत दर्ज हुआ है व दोयमी नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 497.31 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहॉ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 275/298 पर क्रम संख्या 430 पर विधिवत दर्ज हुआ है के बाद

आवेदन सं०: 202400766059833

विक्रय पत्र

वही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 8444 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 825000 स्टाम्प शुल्क- 63500 बाजारी मूल्य - 904000 पंजीकरण शुल्क - 9040 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 9100

श्री मदन लाल शर्मा ,
पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/09/2024 एवं 03:34:21 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीतू गोला
उप निबंधक :सदर प्रथम
आगरा
23/09/2024

संदीप सक्सेना
निबंधक लिपिक
23/09/2024

प्रिंट करें

खरीदारी के विक्रेता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित कुल भूखण्ड के 10 प्रतिशत का शामिलाती मालिक व स्वामी चला आता है और उक्त भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपपक्ष के अलावा अन्य कोई दीगर व्यक्ति, हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और उक्त भूखण्ड आज तक कहीं बन्धक व विक्रय व दान व जमानत व नीलाम आदि नहीं है तथा हर प्रकार की देनदारियों से कतई पाक व साफ है। उपरोक्त भूखण्ड की बावत विक्रेता प्रथमपक्ष ने खरीदार उपरोक्त के अलावा किसी दीगर व्यक्ति से कोई तहरीरी व जुबानी विक्रय करने का सौदा इकरारनामा मुआहिदा वैय वगैरा नहीं किया है, तथा जिसका विक्रय करने का अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष को विधिवत प्राप्त है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित होवे तो विक्रेता प्रथमपक्ष कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा।

चूँकि विक्रेता प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते जरूरत रूपयों की आवश्यकता है और समय के अनुसार उक्त भूखण्ड को क्रेता द्वितीयपक्ष एक उचित व वाजिव कीमत अदा कर क्रय करने को तैयार व रजामंद है, इसलिये अपना हर तरह का लाभ मद्दे नजर रखकर व सलाह मशविरा किये अपने परिवारीजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय करना विक्रेता प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में मंजूर व स्वीकार है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को खूब सोच समझकर बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी अनुचित दबाव के पूर्ण अपने होशों हवास में बिना किसी नशीले वस्तु का सेवन किये हुऐ सलाह मशबरा अपने परिवारिजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय समस्त हक व अधिकारों के व मय गुडटाईटिल के व पूर्ण स्वामित्व के साथ विल एवज मुवलिग 8,25,000/- रूपये (आठ लाख पच्चीस हजार रूपये) कि आधे जिसके मुवलिग 4,12,500/- रूपये होते है में बदस्त मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा क्रेता द्वितीयपक्ष को वैय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल 8,25,000/- रूपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से बजरिये आर टी जी एस जिसका यू टी आर संख्या **HDFCR52024092395162621** दिनांक 23.09.2024 के द्वारा प्राप्त कर लिये है। जिसकी स्वीकारोक्ति विक्रेता प्रथमपक्ष व समक्ष श्रीमान उपनिबन्धक आगरा सदर के समक्ष कर रहा है। इस प्रकार विक्रेता प्रथमपक्ष का क्रेता द्वितीयपक्ष से बावत प्रतिफल विक्रीत भूखण्ड के कुछ भी पाना या लेना बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा।

आवेदन सं०: 202400766059833

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 8444 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अशोक दीक्षित एच0यू0एफ0 कर्ता श्री अशोक दीक्षित संयुक्त हिन्दू परिवार, पुत्र श्री जगदीश चन्द दीक्षित

निवासी: 2/15, नामनेर, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

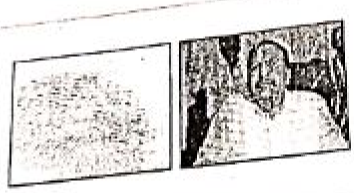

क्रेता: 1

श्री मदन लाल शर्मा, पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा

निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

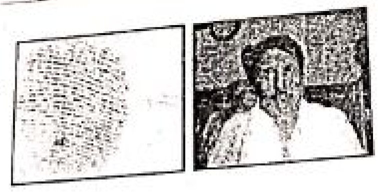

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज कटारा , पुत्र श्री स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा

निवासी: बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

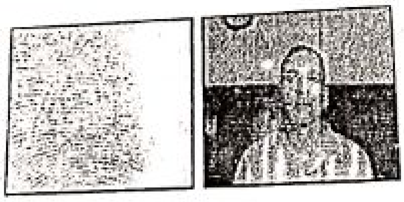

पहचानकर्ता : 2

श्री रौतान सिंह , पुत्र श्री लाखन सिंह

निवासी: 1035, एवसीलेन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढ़ी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी :

नीतू गोला .
उप निबंधक : सदर प्रथम
आगरा
23/09/2024

संदीप सक्सैना .
निबंधक लिपिक आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल उक्त विक्रीत भूखण्ड पर क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और कतई मालिक व स्वामी बना दिया। अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह उक्त क्रय किये गये भूखण्ड से होने मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे और अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करावे, साज-सज्जा करे, स्वयं रहे या किराये पर उठावे, समस्त प्रकार के कनैक्शन लेवे, आवश्यकता पड़ने पर क्रय किये गये भूखण्ड को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बन्धक रखे, इकरारनामा, दान आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा, सदर तहसील आगरा आदि में द्वारा इस विक्रय विलेख/बैनामा के दर्ज करा लेवे। इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष की पूर्णतः सहमति व रजामन्दी है।

आज से कोई भी हक व अधिकार व कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा। अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का किफालतदार पैदा होकर विक्रीत भूखण्ड में अपना हक व हिस्सा जाहिर या साबित करे या क्रेता द्वितीयपक्ष से दावा या झगड़ा करे, जिसकी वजह से या किसी दीगर वजह से उक्त भूखण्ड का कुल या जुज हिस्सा क्रेता द्वितीयपक्ष से निकल जावे या जिसकी वजह से किसी को कुछ भी रकम अदा या खर्च करनी पड़े या विक्रेता प्रथमपक्ष के गुडटाइटिल में कोई कानूनी कमी पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जबावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों की होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह अपनी लागत का कुल रूपया मय सूद व हर्जा-खर्चा के विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसान से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

उपरोक्त भूखण्ड नजूल, राजकीय आस्थान, देवस्थान की भूमि नहीं है और ना ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है और ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया गया है।

भूखण्ड के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27(एक) का उल्लंघन नही किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

यह कि बैनामा/विक्रय विलेख में विक्रेता प्रथमपक्ष व क्रेता द्वितीयपक्ष के बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर एवं उनके कथनानुसार तहरीर किया गया है। जो कि सत्य व सही है अगर उपरोक्त दस्तावेज में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसकी बाध्यता के लिए दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर जिम्मेदार होंगे। सुनकर व पढकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये है। पक्षकारों की शिनाख्त गवाहों द्वारा की गई है।

लिहाजा यह बैनामा/विक्रय पत्र बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के व मुकिरानों के कथनानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 23.09.2024 ई0 व मसौदा सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट मदद तहसील आगरा व मुकिरानों की शिनाख्त आई डी के आधार पर की गयी है।

गवाह : नीरज कटारा पुत्र स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा
निवासी बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

गवाह : रौतान सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह
निवासी 1035, एक्सीलैन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

202400766059833

ल्द संख्या 12444 के पृष्ठ 319 से 332 तक क्रमांक
23/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीतू गोला .
उप निबंधक : सदर प्रथम
आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

SITE PLAN OF PLOT ON KH. NO. 433/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR AURH.
SELLER: ASHOK DIXIT H.U.F
PURCHASER: MADAN LAL SHARMA
AREA = 81.96 SQ.MTS.

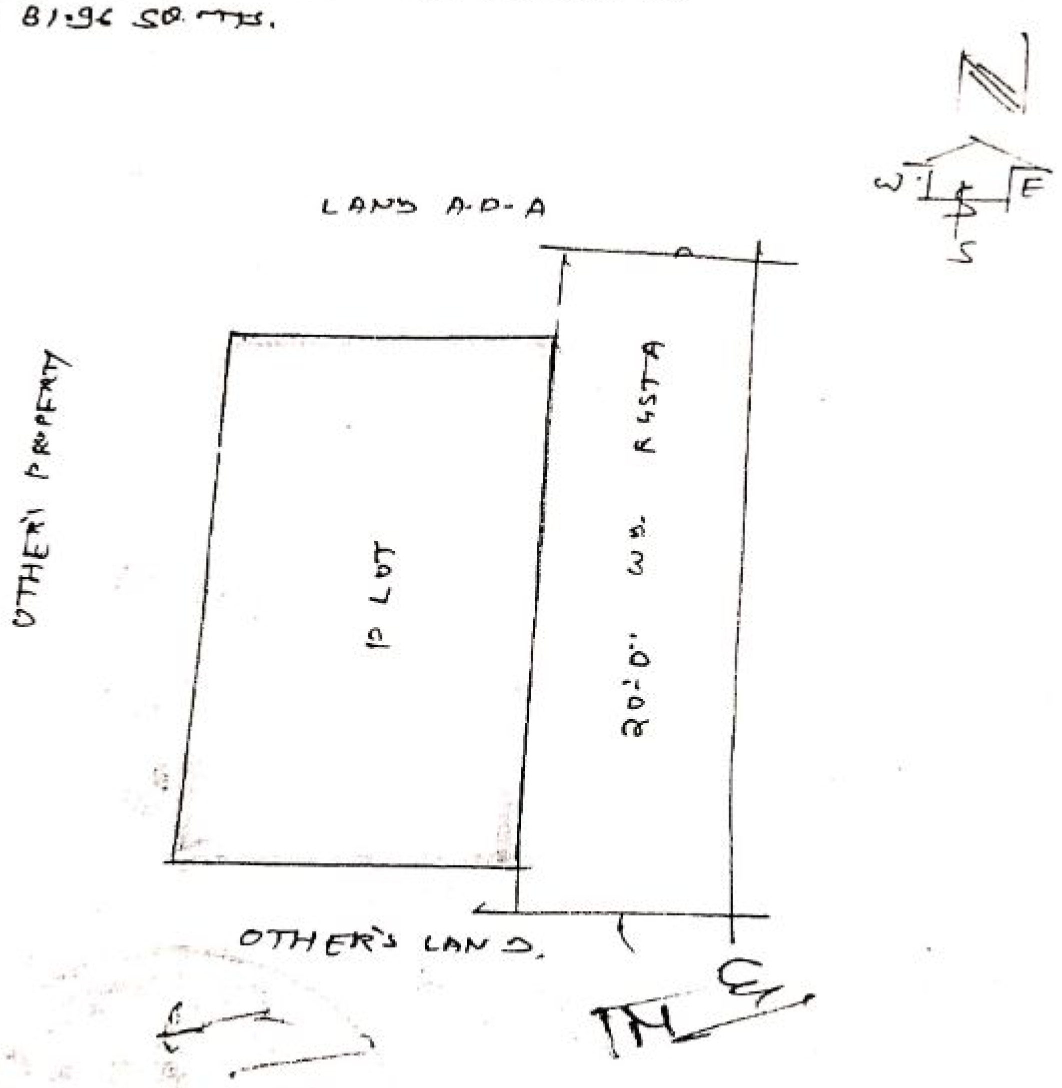

Er. S. SINGH
Architect Designer And Survey
Tehsil Sadar Agra

(14)

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक: सदर चतुर्थ आगरा क्रम संख्या 2024004012776

आवेदन संख्या : 202400766059748

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-09-23 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम मदन लाल शर्मा

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 1000000 / 1040000.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10400

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10460

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2024-09-23 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-23 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP94210176423272W

e-Stamp

Stamp Vendor
Licence No. 132
E-Stamping ACC ...
Tehsil Sadar Dist ...

बरुण दुबे

Certificate No.	:	IN-UP94210176423272W
Certificate Issued Date	:	23-Sep-2024 12:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14134204/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14134204847981337955 85W
Purchased by	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT ON PART OF KHASRA NO. 433/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR TEHSIL AND DISTT. AGRA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ASHOK DIXIT HUF
Second Party	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHAMBHU NATH SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	73,000 (Seventy Three Thousand only)

IN-UP94210176423272W

Please write or type below this line

IHDF 0003551225

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

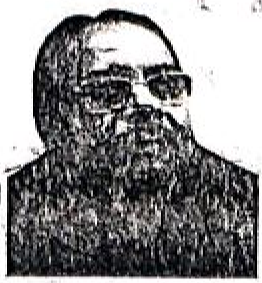

"किस्म दस्तावेज : बैनामा/विक्रय पत्र"

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
2.	वार्ड/परगना	-	तहसील व जिला आगरा।
3.	मौहल्ला/ग्राम	-	मौजा राजपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 433/2 का भाग
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	17.50 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	आगरा शमशाबाद रोड सडक पर अमर होटल से राजपुर चुंगी तक
8.	अन्य विवरण	-	विक्रीत भूखण्ड दो तरफ रास्ते का है लेकिन पार्क फेस का नही है। जिस पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड मूल्यांकन सूची के वर्णित मुख्य मार्ग पर स्थित है।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	खाली भूखण्ड
10.	प्रतिफल की धनराशि	-	10,00,000/- रूपये
11.	सरकारी मालियत	-	10,40,000/- रूपये
12.	सर्किल रेट	-	जमीन - 54,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर उप निबन्धक (तृतीय) आगरा सदर की मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 60 क्रमांक 07 पर अंकित है। उक्त भूखण्ड दो तरफ रास्ते का होने के कारण सर्किल रेट का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित।
13.	देय स्टाम्प	-	73,000/- रूपये का बजरिये ई-स्टाम्प सर्टीफिकेट नम्बरी INUP-94210176423[illegible] दिनांक 23.09.2024 के द्वारा अदा किया गया है।

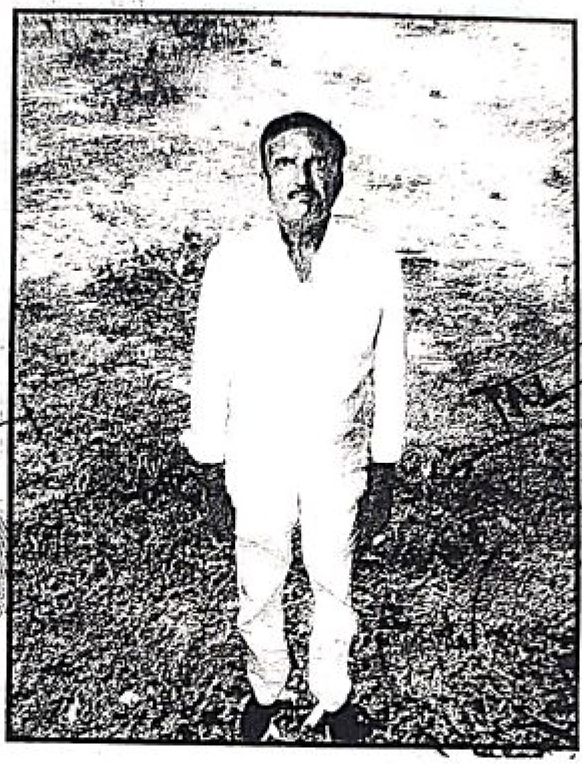

<u>विक्रेता/प्रथमपक्ष की संख्या (1)</u>
अशोक दीक्षित एच0यू0एफ0 कर्ता श्री अशोक दीक्षित संयुक्त हिन्दू परिवार पुत्र श्री जगदीश चन्द दीक्षित निवासी 2/15, नामनेर, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या ~~[illegible]~~ AALPD9510F
मोबाइल नम्बर .... विक्रेता/प्रथमपक्ष

व

<u>क्रेता/ द्वितीयपक्ष की संख्या (1)</u>
मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या **AVQPS7051N**
मोबाइल नम्बर .... क्रेता/द्वितीयपक्ष

<u>सम्पत्ति का विवरण :</u> जो कि एक किता भूखण्ड, क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नम्बर 433/2 का भाग व नगर निगम नम्बर 31/167 है वाकै मौजा राजपुर, तहसील व जिला आगरा जिसकी पैमाइश साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से दर्शित है के 10 प्रतिशत भाग शामलाती यानि 17.50 वर्गमीटर (सम्पूर्ण अंश) का विक्रय किया जा रहा है जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब : रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
पश्चिम : जायदाद दीगर
उत्तर : जमीन दीगर
दक्षिण : निकास व सडक शमशाबाद रोड

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष ने मय मैसर्स अभिनन्दन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती निधि भटनागर आदि के बजरिऐ बैनामा नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहाँ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 225/250 पर क्रम संख्या 428 पर विधिवत दर्ज हुआ है के बाद खरीदारी के विक्रेता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित कुल भूखण्ड के 10 प्रतिशत का शामिलाती मालिक व स्वामी चला आता है और उक्त भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपपक्ष के अलावा अन्य कोई दीगर व्यक्ति, हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं

आवेदन स०: 202400766059748

विक्रय पत्र

वही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8540 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 1000000 स्टाम्प शुल्क- 73000 बाजारी मूल्य - 1040000 पंजीकरण शुल्क - 10400 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10460

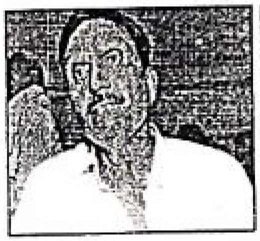

श्री मदन लाल शर्मा ,
पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/09/2024 एवं 03:54:37 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय सिंह ०
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
आगरा
23/09/2024

०००
निबंधक लिपिक
23/09/2024

प्रिंट करें

है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और उक्त भूखण्ड आज तक कहीं बन्धक व विक्रय व दान व जमानत व नीलाम आदि नहीं है तथा हर प्रकार की देनदारियों से कतई पाक व साफ है। उपरोक्त भूखण्ड की बावत विक्रेता प्रथमपक्ष ने खरीदार उपरोक्त के अलावा किसी दीगर व्यक्ति से कोई तहरीरी व जुबानी विक्रय करने का सौदा इकरारनामा मुआहिदा बैय वगैरा नहीं किया है, तथा जिसका विक्रय करने का अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष को विधिवत प्राप्त है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित होवे तो विक्रेता प्रथमपक्ष कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा।

चूँकि विक्रेता प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते जरूरत रूपयों की आवश्यकता है और समय के अनुसार उक्त भूखण्ड को क्रेता द्वितीयपक्ष एक उचित व वाजिव कीमत अदा कर क्रय करने को तैयार व रजामंद है, इसलिये अपना हर तरह का लाभ मद्दे नजर रखकर व सलाह मशविरा किये अपने परिवारीजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय करना विक्रेता प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में मंजूर व स्वीकार है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को खूब सोच समझकर बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी अनुचित दबाव के पूर्ण अपने होशों हवास में बिना किसी नशीले वस्तु का सेवन किये हुऐ सलाह मशबरा अपने परिवारिजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय समस्त हक व अधिकारों के व मय गुडटाईटिल के व पूर्ण स्वामित्व के साथ विल एवज मुवलिग 10,00,000/- रूपये (दस लाख रूपये) कि आधे जिसके मुवलिग 5,00,000/- रूपये होते है में बदस्त मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा क्रेता द्वितीयपक्ष को वैय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल 10,00,000/- रूपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से बजरिये आर टी जी एस जिसका यू टी आर संख्या **HDFCR52024092395118877** दिनांक 23.09.2024 के द्वारा प्राप्त कर लिये है। जिसकी स्वीकारोक्ति विक्रेता प्रथमपक्ष व समक्ष श्रीमान उपनिबन्धक आगरा सदर के समक्ष कर रहा है। इस प्रकार विक्रेता प्रथमपक्ष का क्रेता द्वितीयपक्ष से बावत प्रतिफल विक्रीत भूखण्ड के कुछ भी पाना या लेना बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा।

5

आवेदन सं०: 202400766059748

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 8540 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अशोक दीक्षित एच०यू०एफ० कर्ता श्री अशोक दीक्षित संयुक्त हिन्दू परिवार, पुत्र श्री जगदीश चन्द दीक्षित

निवासी: 2/15, नामनेर, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

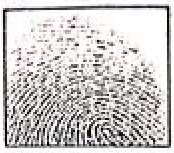
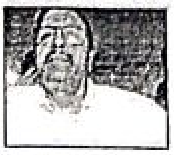

क्रेता: 1

श्री मदन लाल शर्मा, पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा

निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

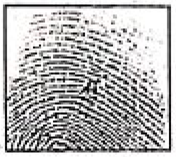
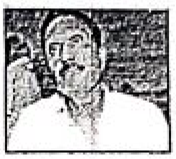

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज कटारा , पुत्र श्री स्व० श्री कौशल किशोर कटारा

निवासी: बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

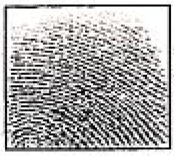
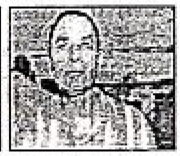

पहचानकर्ता : 2

श्री रौतान सिंह , पुत्र श्री लाखन सिंह

निवासी: 1035, एक्सीलेन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढी ठाकुरदास, रोहता आगरा।

व्यवसाय: अन्य

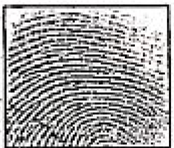

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

संजय सिंह ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
23/09/2024

० ० ०
निबंधक लिपिक आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल उक्त विक्रीत भूखण्ड पर क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और कतई मालिक व स्वामी बना दिया। अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह उक्त क्रय किये गये भूखण्ड से होने मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे और अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करावे, साज-सज्जा करे, स्वयं रहे या किराये पर उठावे, समस्त प्रकार के कनैक्शन लेवे, आवश्यकता पड़ने पर क्रय किये गये भूखण्ड को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बन्धक रखे, इकरारनामा, दान आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा, सदर तहसील आगरा आदि में द्वारा इस विक्रय विलेख/बैनामा के दर्ज करा लेवे। इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष की पूर्णतः सहमति व रजामन्दी है।

आज से कोई भी हक व अधिकार व कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा। अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का किफालतदार पैदा होकर विक्रीत भूखण्ड में अपना हक व हिस्सा जाहिर या साबित करे या क्रेता द्वितीयपक्ष से दावा या झगड़ा करे, जिसकी वजह से या किसी दीगर वज़ह से उक्त भूखण्ड का कुल या जुज हिस्सा क्रेता द्वितीयपक्ष से निकल जावे या जिसकी वजह से किसी को कुछ भी रकम अदा या खर्च करनी पड़े या विक्रेता प्रथमपक्ष के गुडटाइटिल में कोई कानूनी कमी पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जबावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों की होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह अपनी लागत का कुल रूपया मय सूद व हर्जा-खर्चा के विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसान से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

उपरोक्त भूखण्ड नजूल, राजकीय आस्थान, देवस्थान की भूमि नहीं है और ना ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है और ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया गया है।

भूखण्ड के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27(ए्क) का उल्लंघन नही किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

6

यह कि बैनामा/विक्रय विलेख में विक्रेता प्रथमपक्ष व क्रेता द्वितीयपक्ष के बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर एवं उनके कथनानुसार तहरीर किया गया है। जो कि सत्य व सही है अगर उपरोक्त दस्तावेज में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसकी बाध्यता के लिए दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर जिम्मेदार होंगे। सुनकर व पढकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये है। पक्षकारों की शिनाख्त गवाहों द्वारा की गई है।

लिहाजा यह बैनामा/विक्रय पत्र बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के व मुकिरानों के कथनानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 23.09.2024 ई0 व मसौदा सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट सदर तहसील आगरा व मुकिरानों की शिनाख्त आई डी के आधार पर की गयी है।

गवाह : नीरज कटारा पुत्र स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा
निवासी बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

गवाह : रौतान सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह
निवासी 1035, एक्सीलैन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

आवेदन सं०: 202400766059748

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7304 के पृष्ठ 45 से 58 तक क्रमांक 8540 पर दिनाँक 23/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय सिंह ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

SITE PLAN OF PLOT ON PART OF ... KH. 433/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR ...

SELLER: ASHOK DIXIT (H.U.F).

PURCHASER: MADAN LAL SHARMA

AREA = 17.50 SQMTS.

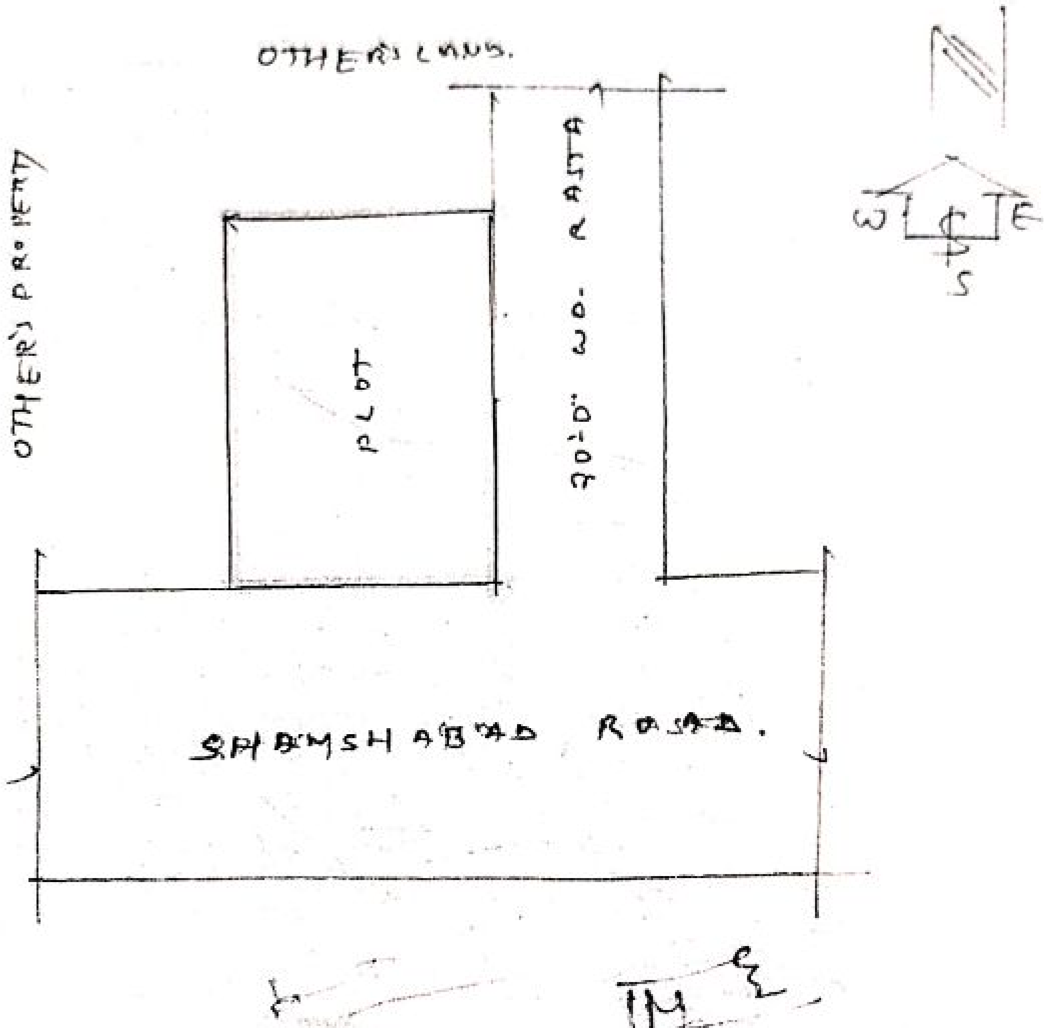

Er. S. SING
Architect

(15)

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर पंचम आगरा क्रम संख्या 2024005012322 9880

आवेदन संख्या 202400766059677

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-09-23 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम मदन लाल शर्मा

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 904000 / 904000.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 9040

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 9100

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2024-09-23 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-23 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP94038623847627W

Government of Uttar Pradesh

SURESH CHAND SARASWAT
STAMP VENDOR
LICENCE NO.-28
E-STAMPING ACC-ID-UP14178404
TEHSIL SADAR, DISTT. AGRA

e-Stamp

9820/24

Certificate No.	:	IN-UP94038623847627W
Certificate Issued Date	:	23-Sep-2024 11:49 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14178404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1417840482393808194059W
Purchased by	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT ON PART OF KHASRA NO-433/2 SITUATED AT MAUZA-RAJPUR TEHSIL AND DISTT. AGRA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMESH CHAND
Second Party	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	63,500 (Sixty Three Thousand Five Hundred only)

E-STAMP CHECKED BY: R. C. LOCKED BY: S. R.

IN-UP94038623847627W

Please write or type below this line

0024902871

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

2

"किस्म दस्तावेज : बैनामा/विक्रय पत्र"

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
2.	वार्ड/परगना	-	तहसील व जिला आगरा।
3.	मौहल्ला/ग्राम	-	मौजा राजपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 433/2 का भाग
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	81.96 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
8.	अन्य विवरण	-	विक्रीत भूखण्ड दो तरफ रास्ते का व पार्क फेस नही है। जिस पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड मूल्यांकन सूची के वर्णित मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	खाली भूखण्ड
10.	प्रतिफल की धनराशि	-	9,04,000/- रूपये
11.	सरकारी मालियत	-	9,04,000/- रूपये
12.	सर्किल रेट	-	जमीन - 11,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर उप निबन्धक (तृतीय) आगरा सदर की मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 39 क्रमांक 236 पर अंकित है।
13.	देय स्टाम्प	-	63,500/- रूपये का बजरिये ई-स्टाम्प सर्टीफिकेट नम्बरी /NUP-94038623847627w दिनांक 23.09.2024 के द्वारा अदा किया गया है।

3

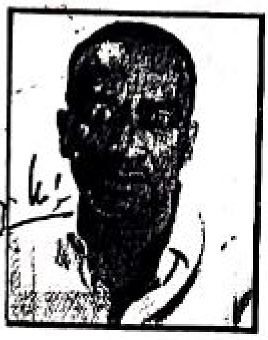

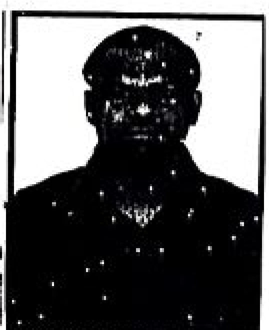

विक्रेता/प्रथमपक्ष की संख्या (1)
रमेश चंद पुत्र श्री पोप सिंह निवासी 15/40, चित्रा सिनेमा के सामने, काली बाडी रोड, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या ABGPC5190E
मोबाइल नम्बर 9412254014 .... विक्रेता/प्रथमपक्ष

व

क्रेता/ द्वितीयपक्ष की संख्या (1)
मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या AVQPS7051N
मोबाइल नम्बर .... क्रेता/द्वितीयपक्ष

सम्पत्ति का विवरण : जो कि एक किता भूखण्ड, क्षेत्रफल 819.62 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नम्बर 433/2 का भाग व नगर निगम नम्बर 31/167 है वाकै मौजा राजपुर, तहसील व जिला आगरा जिसकी पैमाइश साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से दर्शित है के 10 प्रतिशत भाग शामलाती यानि 81.96 वर्गमीटर (सम्पूर्ण अंश) का विक्रय किया जा रहा है जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब : रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
पश्चिम : जायदाद दीगर
उत्तर : जमीन ए डी ए
दक्षिण : जमीन दीगर

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष ने मय मैसर्स अभिनन्दन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती निधि भटनागर आदि के बजरिऐ दो किता बैनामा यके नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 322.31 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहाँ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 251/274 पर क्रम संख्या 429 पर विधिवत दर्ज हुआ है व दोयमी नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 497.31 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहाँ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 275/298 पर क्रम संख्या 430 पर विधिवत दर्ज हुआ है के बाद

आवेदन सं०: 202400766059677

विक्रय पत्र

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 9880 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 904000 स्टाम्प शुल्क- 63500 बाजारी मूल्य - 904000 पंजीकरण शुल्क - 9040 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 9100

श्री मदन लाल शर्मा ,
पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/09/2024 एवं 12:46:35 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजीव कुमार सक्सैना प्रभारी
उप निबंधक :सदर पंचम
आगरा
23/09/2024

प्रकाश नरायन .
निबंधक लिपिक
23/09/2024

प्रिंट करें

खरीदारी के विक्रेता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित कुल भूखण्ड के 10 प्रतिशत का शामिलाती मालिक व स्वामी चला आता है और उक्त भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपपक्ष के अलावा अन्य कोई दीगर व्यक्ति, हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और उक्त भूखण्ड आज तक कहीं बन्धक व विक्रय व दान व जमानत व नीलाम आदि नहीं है तथा हर प्रकार की देनदारियों से कतई पाक व साफ है। उपरोक्त भूखण्ड की बावत विक्रेता प्रथमपक्ष ने खरीदार उपरोक्त के अलावा किसी दीगर व्यक्ति से कोई तहरीरी व जुबानी विक्रय करने का सौदा इकरारनामा मुआहिदा वैय वगैरा नहीं किया है, तथा जिसका विक्रय करने का अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष को विधिवत प्राप्त है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित होवे तो विक्रेता प्रथमपक्ष कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा।

चूँकि विक्रेता प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते जरूरत रूपयों की आवश्यकता है और समय के अनुसार उक्त भूखण्ड को क्रेता द्वितीयपक्ष एक उचित व वाजिब कीमत अदा कर क्रय करने को तैयार व रजामंद है, इसलिये अपना हर तरह का लाभ मद्दे नजर रखकर व सलाह मशविरा किये अपने परिवारीजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय करना विक्रेता प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में मंजूर व स्वीकार है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को खूब सोच समझकर बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी अनुचित दवाव के पूर्ण अपने होशों हवास में बिना किसी नशीले वस्तु का सेवन किये हुऐ सलाह मशबरा अपने परिवारिजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय समस्त हक व अधिकारों के व मय गुडटाईटिल के व पूर्ण स्वामित्व के साथ विल एवज मुवलिग 9,04,000/- रूपये (नौ लाख चार हजार रूपये) कि आधे जिसके मुवलिग 4,52,000/- रूपये होते है में बदस्त मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा क्रेता द्वितीयपक्ष को वैय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल 9,04,000/- रूपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से नगद पूर्व में विभिन्न तारीखों में समक्ष गवाहान के प्राप्त कर लिये है। जिसकी स्वीकारोक्ति विक्रेता प्रथमपक्ष व समक्ष श्रीमान उपनिबन्धक आगरा सदर के समक्ष कर रहा है। इस प्रकार विक्रेता प्रथमपक्ष का क्रेता द्वितीयपक्ष से बावत प्रतिफल विक्रीत भूखण्ड के कुछ भी पाना या लेना बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा।

आवेदन सं०: 202400766059677

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 9880 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रमेश चंद, पुत्र श्री पोप सिंह

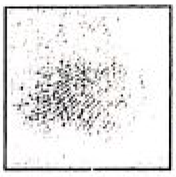

निवासी: 15/40, चित्रा सिनेमा के सामने, काली बाड़ी रोड, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री मदन लाल शर्मा, पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा

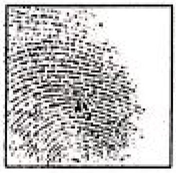

निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज कटारा , पुत्र श्री स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा

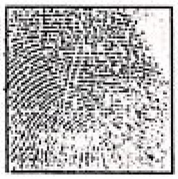

निवासी: बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री रौतान सिंह , पुत्र श्री लाखन सिंह

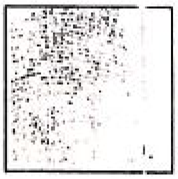
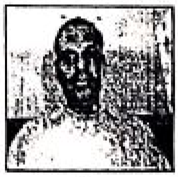

निवासी: 1035, एक्सीलेन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, मढ़ी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

संजीव कुमार सक्सैना प्रभारी
उप निबंधक : सदर पंचम
आगरा
23/09/2024

प्रकाश नरायन
निबंधक लिपिक आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल उक्त विक्रीत भूखण्ड पर क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और कतई मालिक व स्वामी बना दिया। अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह उक्त क्रय किये गये भूखण्ड से होने मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे और अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करावे, साज-सज्जा करे, स्वयं रहे या किराये पर उठावे, समस्त प्रकार के कनैक्शन लेवे, आवश्यकता पड़ने पर क्रय किये गये भूखण्ड को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बन्धक रखे, इकरारनामा, दान आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा, सदर तहसील आगरा आदि में द्वारा इस विक्रय विलेख/बैनामा के दर्ज करा लेवे। इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष की पूर्णतः सहमति व रजामन्दी है।

आज से कोई भी हक व अधिकार व कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा। अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का किफालतदार पैदा होकर विक्रीत भूखण्ड में अपना हक व हिस्सा जाहिर या साबित करे या क्रेता द्वितीयपक्ष से दावा या झगड़ा करे, जिसकी वजह से या किसी दीगर वजह से उक्त भूखण्ड का कुल या जुज हिस्सा क्रेता द्वितीयपक्ष से निकल जावे या जिसकी वजह से किसी को कुछ भी रकम अदा या खर्च करनी पड़े या विक्रेता प्रथमपक्ष के गुडटाइटिल में कोई कानूनी कमी पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जबावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों की होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह अपनी लागत का कुल रूपया मय सूद व हर्जा-खर्चा के विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसान से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

उपरोक्त भूखण्ड नजूल, राजकीय आस्थान, देवस्थान की भूमि नहीं है और ना ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है और ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया गया है।

भूखण्ड के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27(एक) का उल्लंघन नही किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

यह कि बैनामा/विक्रय विलेख में विक्रेता प्रथमपक्ष व क्रेता द्वितीयपक्ष के बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर एवं उनके कथनानुसार तहरीर किया गया है। जो कि सत्य व सही है अगर उपरोक्त दस्तावेज में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसकी बाध्यता के लिए दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर जिम्मेदार होंगे। सुनकर व पढकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये है। पक्षकारों की शिनाख्त गवाहों द्वारा की गई है।

लिहाजा यह बैनामा/विक्रय पत्र बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के व मुकिरानों के कथनानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 23.09.2024 ई0 व मसौदा सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट सदर तहसील आगरा व मुकिरानों की शिनाख्त आई डी के आधार पर की गयी है।

गवाह : नीरज कटारा पुत्र स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा
निवासी बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

गवाह : रौतान सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह
निवासी 1035, एक्सीलैन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

SADAR TEHSIL AGRA

आवेदन सं०: 202400766059677

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5464 के पृष्ठ 385 से 398 तक क्रमांक 9880 पर दिनाँक 23/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजीव कुमार सक्सैना प्रभारी
उप निबंधक : सदर पंचम
आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

उत्तर

SITE PLAN OF PLOT ON PART OF KH.NO. 433/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR AGRA.

SELLER: RAMESH CHAND.

PURCHASER: MADAN LAL SHARMA

AREA = 81.96 SQ.MTS.

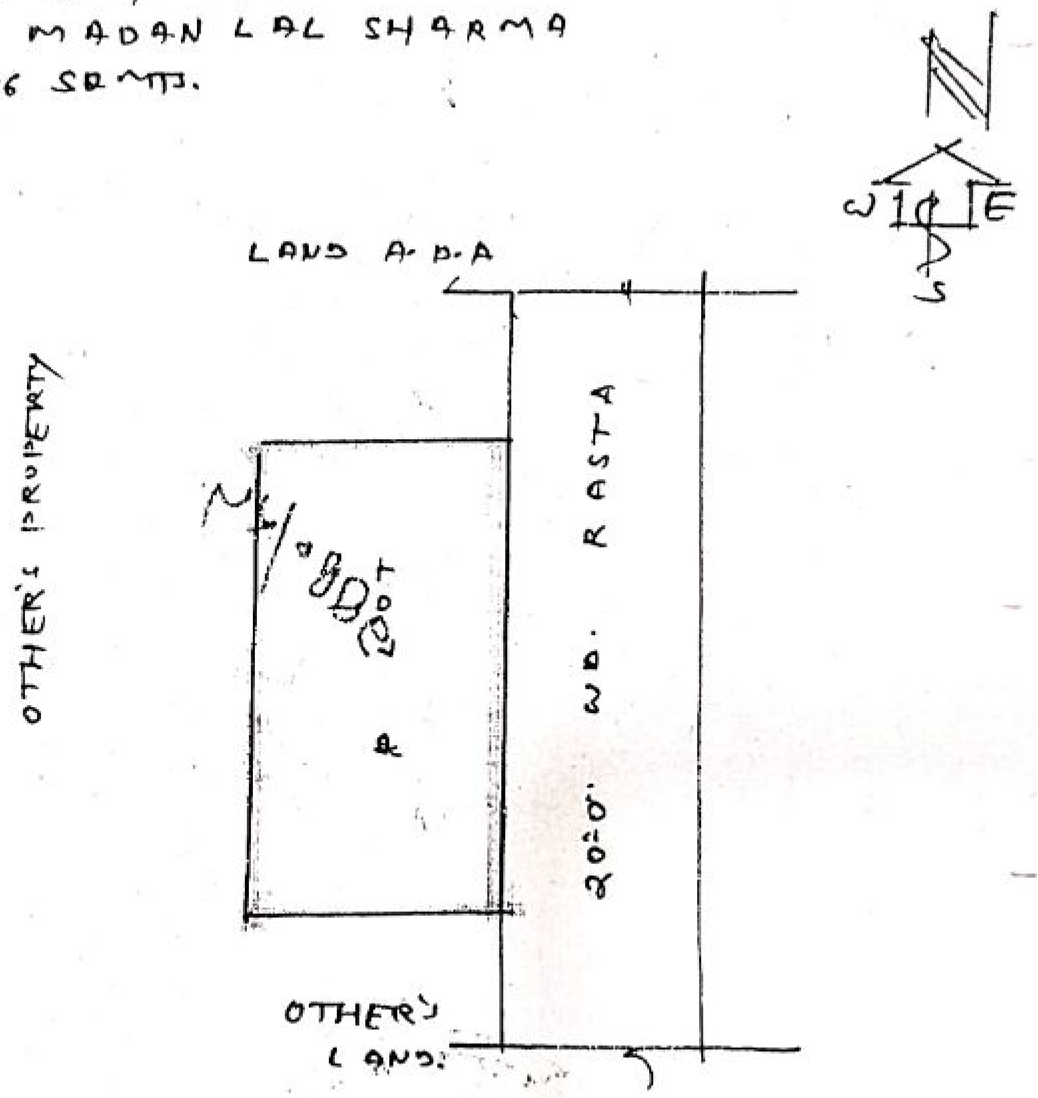

Er. S. ... SINGH
Architect Designer And Server
Tehsil Sadar, Agra

<u>विक्रेता/प्रथमपक्ष की संख्या (1)</u>
रमेश चंद पुत्र श्री पोप सिंह निवासी 15/40, चित्रा सिनेमा के सामने, काली बाडी रोड, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या ABGPC5190E
मोबाइल नम्बर 9412254014 .... विक्रेता/प्रथमपक्ष

व

<u>क्रेता/ द्वितीयपक्ष की संख्या (1)</u>
मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या AVQPS7051N
मोबाइल नम्बर .... क्रेता/द्वितीयपक्ष

<u>सम्पत्ति का विवरण :</u> जो कि एक किता भूखण्ड, क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नम्बर 433/2 का भाग व नगर निगम नम्बर 31/167 है वाकै मौजा राजपुर, तहसील व जिला आगरा जिसकी पैमाइश साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से दर्शित है के 10 प्रतिशत भाग शामलाती यानि 17.50 वर्गमीटर (सम्पूर्ण अंश) का विक्रय किया जा रहा है जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब :	रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
पश्चिम :	जायदाद दीगर
उत्तर :	जमीन दीगर
दक्षिण :	निकास व सडक शमशाबाद रोड

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष ने मय मैसर्स अभिनन्दन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती निधि भटनागर आदि के बजरिऐ नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 175 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहाँ वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 225/250 पर क्रम संख्या 428 पर विधिवत दर्ज हुआ है। के बाद खरीदारी के विक्रेता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित कुल भूखण्ड के 10 प्रतिशत का शामिलाती मालिक व स्वामी चला आता है और उक्त भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपपक्ष के अलावा अन्य कोई दीगर व्यक्ति, हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और

8707-124

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP94034621182334W

e-Stamp

SURESH CHAND SA...
STAMP VENDOR
LICENCE No.-28
E-STAMPING ACC-ID-UP14178...
TEHSIL SADAR, DISTT.-AGR...

Certificate No.	:	IN-UP94034621182334W
Certificate Issued Date	:	23-Sep-2024 11:48 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14178404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14178404824022827554 81W
Purchased by	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT ON PART OF KHASRA NO-433/2 SITUATED AT MAUZA-RAJPUR TEHSIL AND DISTT. AGRA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMESH CHAND
Second Party	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	MADAN LAL SHARMA SON OF SHRI SHABHUNATH SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	73,000 (Seventy Three Thousand only)

SR IIIrd Agra

IN-UP94034621182334W

Please write or type below this line

0024902870

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2

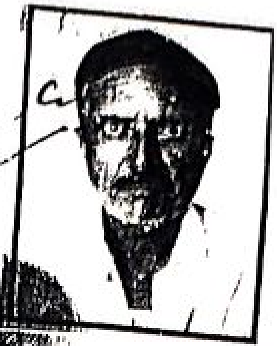

"किस्म दस्तावेज : बैनामा/विक्रय पत्र"

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
2.	वार्ड/परगना	-	तहसील व जिला आगरा।
3.	मौहल्ला/ग्राम	-	मौजा राजपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 433/2 का भाग
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	17.50 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	आगरा शमशाबाद रोड सडक पर अमर होटल से राजपुर चुंगी तक
8.	अन्य विवरण	-	विक्रीत भूखण्ड दो तरफ रास्ते का है लेकिन पार्क फेस का नही है। जिस पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूखण्ड मूल्यांकन सूची के वर्णित मुख्य मार्ग पर स्थित है।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	खाली भूखण्ड
10.	प्रतिफल की धनराशि	-	10,40,000/- रूपये
11.	सरकारी मालियत	-	10,40,000/- रूपये
12.	सर्किल रेट		जमीन 54,000/- रूपये प्रति वर्गमी[illegible] निबन्धक (तृतीय) आगरा सदर की मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 60 क्रमांक 07 पर अंकित है। उक्त भूखण्ड दो तरफ रास्ते का होने के कारण सर्किल रेट का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित।
13.	देय स्टाम्प	-	73,000/- रूपये का बजरिये ई-स्टाम्प सर्टीफिकेट नम्बरी/NUP-94034621182334W दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अदा किया गया है।

3

विक्रेता/प्रथमपक्ष की संख्या (1)
रमेश चंद पुत्र श्री पोप सिंह निवासी 15/40, चित्रा सिनेमा के सामने, काली बाडी रोड, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या ABGPC5190E
मोबाइल नम्बर 9412254014

.... विक्रेता/प्रथमपक्ष

व

क्रेता/ द्वितीयपक्ष की संख्या (1)
मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।
स्थाई लेखा संख्या AVQPS7051N
मोबाइल नम्बर ....

.... क्रेता/द्वितीयपक्ष

सम्पत्ति का विवरण : जो कि एक किता भूखण्ड, क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नम्बर 433/2 का भाग व नगर निगम नम्बर 31/167 है वाके मौजा राजपुर, तहसील व जिला आगरा जिसकी पैमाइश साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से दर्शित है के 10 प्रतिशत भाग शामलाती यानि 17.50 वर्गमीटर (सम्पूर्ण अंश) का विक्रय किया जा रहा है जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब :	रास्ता 20 फीट चौडा व निकास
पश्चिम :	जायदाद दीगर
उत्तर :	जमीन दीगर
दक्षिण :	निकास व सडक शमशाबाद रोड

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष ने मय मैसर्स अभिनन्दन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती निधि भटनागर आदि के बजरिऐ नविश्ता मुन्ना लाल बंसल आदि से दिनांक 27.01.2004 ई0 को व तादाद 175 वर्गमीटर को क्रय किया जिसका पंजीकरण उप निबन्धक तृतीय आगरा के यहॉं वही संख्या 1 जिल्द संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 225/250 पर क्रम संख्या 428 पर विधिवत दर्ज हुआ है। के बाद खरीदारी के विक्रेता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित कुल भूखण्ड के 10 प्रतिशत का शामिलाती मालिक व स्वामी चला आता है और उक्त भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपपक्ष के अलावा अन्य कोई दीगर व्यक्ति, हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का होवे और

4

उक्त भूखण्ड आज तक कहीं बन्धक व विक्रय व दान व जमानत व नीलाम आदि नहीं है तथा हर प्रकार की देनदारियों से कतई पाक व साफ है। उपरोक्त भूखण्ड की बावत विक्रेता प्रथमपक्ष ने खरीदार उपरोक्त के अलावा किसी दीगर व्यक्ति से कोई तहरीरी व जुबानी विक्रय करने का सौदा इकरारनामा मुआहिदा वैय वगैरा नहीं किया है, तथा जिसका विक्रय करने का अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष को विधिवत प्राप्त है। अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित होवे तो विक्रेता प्रथमपक्ष कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा।

चूँकि विक्रेता प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते जरूरत रूपयों की आवश्यकता है और समय के अनुसार उक्त भूखण्ड को क्रेता द्वितीयपक्ष एक उचित व वाजिव कीमत अदा कर क्रय करने को तैयार व रजामंद है, इसलिये अपना हर तरह का लाभ मद्दे नजर रखकर व सलाह मशविरा किये अपने परिवारीजनों व शुभचिन्तकों के उपरोवत भूखण्ड का विक्रय करना विक्रेता प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में मंजूर व स्वीकार है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को खूब सोच समझकर बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी अनुचित दबाव के पूर्ण अपने होशों हवास में बिना किसी नशीले वस्तु का सेवन किये हुऐ सलाह मशबरा अपने परिवारिजनों व शुभचिन्तकों के उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय समस्त हक व अधिकारों के व मय गुडटाईटिल के व पूर्ण स्वामित्व के साथ विल एवज मुवलिग 10,40,000/- रूपये (दस लाख चालीस हजार रूपये) कि आधे जिसके मुवलिग 5,20,000/- रूपये होते है में बदस्त मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा क्रेता द्वितीयपक्ष को वैय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल 10,40,000/- रूपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से नगद पूर्व में विभिन्न तारीखों में समक्ष गवाहान के प्राप्त कर लिये है। जिसकी स्वीकारोक्ति विक्रेता प्रथमपक्ष व समक्ष श्रीमान उपनिबन्धक आगरा सदर के समक्ष कर रहा है। इस प्रकार विक्रेता प्रथमपक्ष का क्रेता द्वितीयपक्ष से बावत प्रतिफल विक्रीत भूखण्ड के कुछ भी पाना या लेना बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा।

आवेदन सं०: 202400766059668

विक्रय पत्र

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 8707 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 1040000 स्टाम्प शुल्क- 73000 बाजारी मूल्य - 1040000 पंजीकरण शुल्क - 10400 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10460

श्री मदन लाल शर्मा ,
पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुगी, तहसील व जिला आगरा।

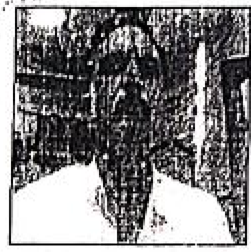

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/09/2024 एवं 01:03:05 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र0 राकेश कुमार यादव
उप निबंधक :सदर तृतीय
आगरा
23/09/2024

अखिलेश कुमार सक्सैना
निबंधक लिपिक
23/09/2024

प्रिंट करें

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल उक्त विक्रीत भूखण्ड पर क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और कतई मालिक व स्वामी बना दिया। अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह उक्त क्रय किये गये भूखण्ड से होने मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे और अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करावे, साज-सज्जा करे, स्वयं रहे या किराये पर उठावे, समस्त प्रकार के कनैक्शन लेवे, आवश्यकता पड़ने पर क्रय किये गये भूखण्ड को विक्रय करे, ऋण प्राप्त करे, बन्धक रखे, इकरारनामा, दान आदि जो चाहे सो करे व अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभागों में जैसे नगर निगम आगरा, सदर तहसील आगरा आदि में द्वारा इस विक्रय विलेख/बैनामा के दर्ज करा लेवे। इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष की पूर्णतः सहमति व रजामन्दी है।

आज से कोई भी हक व अधिकार व कब्जा व दखल विक्रीत भूखण्ड में विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा होगा। अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी वारिसान या दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का किफालतदार पैदा होकर विक्रीत भूखण्ड में अपना हक व हिस्सा जाहिर या साबित करे या क्रेता द्वितीयपक्ष से दावा या झगड़ा करे, जिसकी वजह से या किसी दीगर वजह से उक्त भूखण्ड का कुल या जुज हिस्सा क्रेता द्वितीयपक्ष से निकल जावे या जिसकी वजह से किसी को कुछ भी रकम अदा या खर्च करनी पड़े या विक्रेता प्रथमपक्ष के गुडटाइटिल में कोई कानूनी कमी पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जबावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों की होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह अपनी लागत का कुल रूपया मय सूद व हर्जा-खर्चा के विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसान से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

उपरोक्त भूखण्ड नजूल, राजकीय आस्थान, देवस्थान की भूमि नहीं है और ना ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है और ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया गया है।

भूखण्ड के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27(एक) का उल्लंघन नही किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

आवेदन सं०: 202400766059668

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8707 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुंन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रमेश चंद, पुत्र श्री पोप सिंह

निवासी: 15/40, चित्रा सिनेमा के सामने, काली बाडी रोड, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

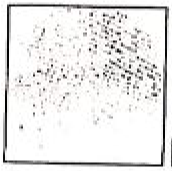
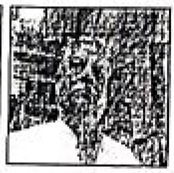

क्रेता: 1

श्री मदन लाल शर्मा, पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा

निवासी: गुरू गोविन्द नगर, राजपुर चुंगी, तहसील व जिला आगरा।

व्यवसाय: अन्य

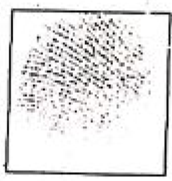
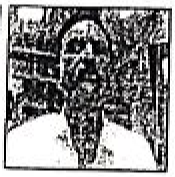

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज कटारा , पुत्र श्री स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा

निवासी: बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

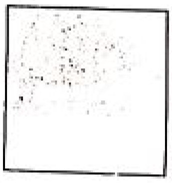
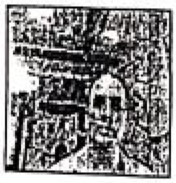

पहचानकर्ता : 2

श्री रौतान सिंह , पुत्र श्री लाखन सिंह

निवासी: 1035, एक्सीलेन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढ़ी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

व्यवसाय: अन्य

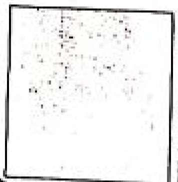
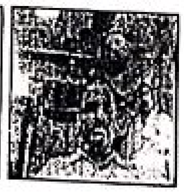

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्र० राकेश कुमार यादव
उप निबंधक : सदर तृतीय
आगरा
23/09/2024

अखिलेश कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक आगरा
23/09/2024

प्रिंट करें

यह कि बैनामा/विक्रय विलेख में विक्रेता प्रथमपक्ष व क्रेता द्वितीयपक्ष के बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर एवं उनके कथनानुसार तहरीर किया गया है। जो कि सत्य व सही है अगर उपरोक्त दस्तावेज में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसकी बाध्यता के लिए दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर जिम्मेदार होंगे। सुनकर व पढकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये है। पक्षकारों की शिनाख्त गवाहों द्वारा की गई है।

लिहाजा यह बैनामा/विक्रय पत्र बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के व मुकिरानों के कथनानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 21.09.2024 ई0 व मसौदा सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट सदर तहसील आगरा व मुकिरानों की शिनाख्त आई डी के आधार पर की गयी है।

गवाह : नीरज कटारा पुत्र स्व0 श्री कौशल किशोर कटारा
निवासी बी-4 पंचशील अपार्टमेन्ट, चतुर्थतल, विभव नगर, आगरा।

गवाह : रौतान सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह
निवासी 1035, एक्सीलैन्ट रॉयल पार्क कॉलोनी, गढी ठाकुरदास, रौहता आगरा।

7

आवेदन सं०: 202400766059668

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12302 के पृष्ठ 175 से 188 तक क्रमांक 8707 पर दिनाँक 23/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र0 राकेश कुमार यादव
उप निबंधक : सदर तृतीय
आगरा
23/09/2024

SITE PLAN OF PLOT ON PART OF KH.NO. 4[redacted]/2 SITUATED AT MAUZA RAJPUR KURD.
SELLER: RAMESH CHAND.
PURCHASER: MADAN LAL SHARMA
AREA= 17.50 SQMTS.